न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 38/2013
प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

–प्रार्थी

बनाम

पदम चन्द पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन निवासी टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

अभिशंषा दिनांक 06.02.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 752 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम टोरडी तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 07-08-1977 को रकबा 2 बीघा पदम चन्द पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन निवासी टोरडी के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 25-01-1983 को जरिए नामान्तरकरण सं0 2089 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 12.05.1986 से नामान्तरकरण सं0 2613 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। नकल जमाबंदी सम्वंत 2058–2061 वाके ग्राम टोरडी मे खसरा नम्बर 752 रकबा 2 बीघा भूमि पदम चन्द पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन निवासी टोरडी तहसील मालपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 2089 व 2613 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई।बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार तलाई दर्ज थी, उक्त तलाई भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तकरण संख्या 2089 गेर खातेदारी एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 2613 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 752 गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 07.08.1977 को 2 बीघा भूमि पदम चन्द पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन निवासी टोरडी के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में अप्रार्थी को दिनांक 25.01.1983 को जरिए नामान्तकरण सं0 2089 गेर खातेदारी एंव दिनांक 12.05.1986 को नामान्तरकरण सं0 2613 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये। चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 तलाई दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी अप्रार्थी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एंव बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 07.08.1977 को विवादित भूमि अप्रार्थी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि पदम चन्द पुत्र कपूर चन्द जाति महाजन निवासी टोरडी तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 431/1977 दिनांक 07.08.1977 द्वारा खसरा नम्बर 752 मे से रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम टोरडी मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री पदम चन्द के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2089 दिनांक 25.01.1983 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 2613 दिनांक 12.05.1986 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 752 मे से रकबा 2 बीघा वाके ग्राम टोरडी को पुनः गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति0 जिला कलेक्टर, टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 14:05:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: